पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादूनः: मई, 2012

प्रार्थना पत्र सं0 – 3180/04.08.2008
सर्वश्री क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम,
चनौदा, जिला– अल्मोड़ा,
(उत्तराखण्ड़)
उपस्थिति– श्री हेमचन्द्र पंत, सचिव तथा अधिवक्ता श्री एन0एच0एच0 लाल।
निर्णय का दिनांक– मई, 2012,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 सपठित प्रतिप्रेषित वाद के अन्तर्गत निर्णय/विवादास्पद प्रश्नों का अवधारण।

सर्वश्री क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, चनौदा, जिला–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुए यह तथ्य रखा गया है कि आवेदनकर्ता मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के अन्तर्गत एक पंजीकृत फर्म है जिसका टिन–05000131363 है। आवेदनकर्ता द्वारा बताया गया है कि उनकी फर्म खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई से मान्यता प्राप्त संस्था है, तथा अधिनियम संख्या–21/1860 के अधीन सोसायटी एक्ट में रजिस्ट्रर्ड है। पुनः बताया गया है कि व्यापार कर (उत्तरांचल)–2002 के धारा–4बी के अन्तर्गत श्री गांधी आश्रम मेरठ व उसकी शाखाओं द्वारा की गई खरीद/बिक्री व्यापार कर से पूर्णतया कर मुक्त थी। उनकी फर्म भी श्री गांधी आश्रम, मेरठ की शाखा है। दिनांक 01.10.2005 से उत्तरांचल में (VAT Law In Uttarachal) लागू होने से अनुसूची–1 के क्रमांक 32 में **"खादी के वस्त्र/सामान और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुएं जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जाए"** की स्पष्ट जानकारी नहीं हो रही है। उनके द्वारा बताया गया कि खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा उत्तराखण्ड़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, के रूप में उनकी संस्था द्वारा विभिन्न वस्तुओं की खरीद–बिक्री एवं उत्पादन बिक्री का व्यवसाय किया जाता है। अन्त में उनके द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछा गया है–

" जिस प्रकार व्यापार कर की धारा–4ख में श्री गांधी आश्रम, मेरठ तथा उसकी शाखाओं द्वारा की गई खरीद एवं बिक्री पूर्ण रूप से कर मुक्त थी क्या मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू हो जाने पर भी यह पूर्व की भांति कर मुक्त होगी अथवा नहीं ? मूल्यवर्धित कर (वैट) की अनुसूची–I के क्रमांक–32 में कौन–कौन सी वस्तुओं की विज्ञप्ति जारी हुई है, जानकारी देने की कृपा करेंगें। "

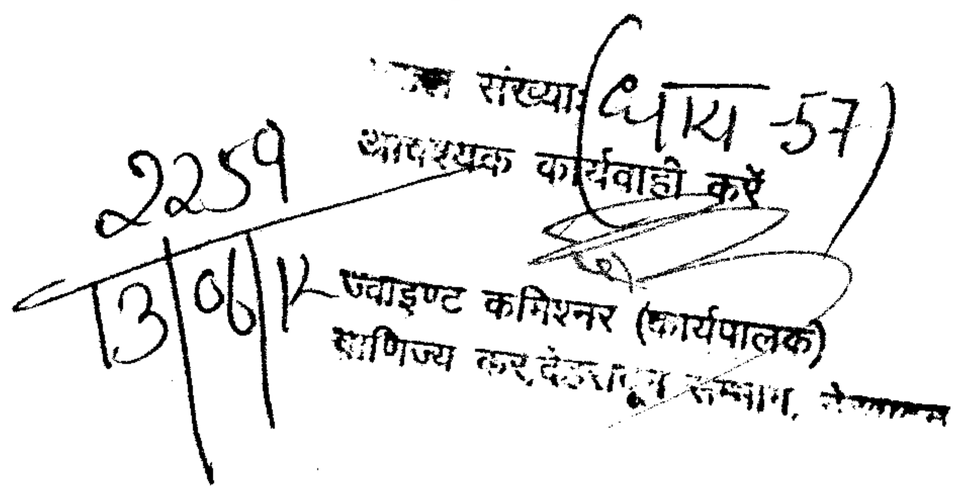

आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार प्रेषित धारा–57 के प्रार्थना पत्र द्वारा दो प्रकार के प्रश्न किये गये है–

1. जिस प्रकार व्यापार कर की धारा–4ख में श्री गांधी आश्रम, मेरठ तथा उनकी शाखाओं द्वारा की गई खरीद एवं बिक्री पूर्ण रूप से कर मुक्त थी क्या मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू हो जाने पर भी यह पूर्व की भांति कर मुक्त होगी अथवा नहीं ?
2. मूल्यवर्धित कर (वैट) की अनुसूची–I के क्रमांक–32 में कौन–कौन सी वस्तुओं की विज्ञप्ति जारी हुई है? जानकारी देने की कृपा करें।

आवेदनकर्ता द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I के क्रमांक–35 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि के कारण क्रमांक–32 अंकित कर दिया है अतः उसे क्रमांक–35 ही पढ़ा जाएगा।

तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून द्वारा आदेश संख्या–1597/धारा–57/आयु0क0उत्तरा0/ वाणि0क0/2008–09 दिनांक 06.08.2008 द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय में उल्लेख किया गया है **"आपने क्रम संख्या–32 पर खादी के वस्त्र/सामान और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुएं जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जाए पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर संबंधी प्रश्न पूछा गया है।"**

पूछे गये प्रश्न के संदर्भ में धारा–57 के आदेश में अवगत कराते हुए बताया गया है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I के क्रमांक–35 पर अकिंत प्रविष्टी **(खादी के वस्त्र/सामान और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुए जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जाए)** को रखते हुए कर मुक्त घोषित किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुसूची के द्वारा केवल खादी के वस्त्रों को ही कर मुक्ति प्रदान की गयी है तथा अभी तक राज्य सरकार द्वारा अन्य किसी वस्तुओं की इस अनुसूची के क्रमांक–35 हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है। अतः वर्तमान प्राविधानों के अनुसार केवल खादी वस्तुओं पर ही कर मुक्ति लागू है।

उपरोक्तानुसार धारा–57 के आदेश दिनांक 06.08.2008 द्वारा खादी के वस्त्र को कर मुक्त होने से सम्बन्धित एवं अन्य वस्तुओं के संदर्भ में अधिसूचना जारी न किये जाने के कारण कर मुक्त न होने से सम्बन्धित निर्णय दिया गया।

धारा–57 के उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.08.2008 से क्षुब्ध होकर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील संख्या–06/2011(2008–09) The State of Uttarakhand through, The Principal Secretary (Finance) Uttarakhand Government, Dehradun V/s M/s Kshetriya Shri Gandhi Ashram, Chanauda, Distt Almorah, दायर की गई। माननीय अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.12.2011 द्वारा उत्तराखण्ड

शासन द्वारा दायर उक्त अपील को स्वीकार करते हुये धारा–57 के अर्न्तगत पारित आदेश दिनांक 06.08.08 को निरस्त किया गया तथा धारा–57 से संबंधित प्रकरण को आयुक्त कर उत्तराखण्ड मुख्यालय देहरादून को धारा–57 के प्रार्थना पत्र में पूछे गये प्रश्न के संदर्भ में उत्तर देने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रतिप्रेषित धारा–57 के आदेश के संदर्भ में दिये गये निर्णय में उल्लेख किया गया है कि एडिशनल कमिश्नर द्वारा दिया गया उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.08.08, आवेदनकर्त्ता द्वारा पूछे गये प्रश्नों के तथ्यों के अनुसार नहीं दिया गया है क्योंकि आवेदनकर्त्ता द्वारा अपने धारा–57 के प्रार्थना पत्र में निम्न दो प्रश्न पूछे गये थे –

1. जिस प्रकार व्यापार कर की धारा–4ख में श्री गांधी आश्रम, मेरठ तथा उनकी शाखाओं द्वारा की गई खरीद एवं बिक्री पूर्णः रूप से कर मुक्त थी क्या मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू हो जाने पर भी यह पूर्व की भांति कर मुक्त होगी अथवा नहीं ?
2. मूल्यवर्धित कर (वैट) की अनुसूची–I के क्रमांक–35में कौन–कौन सी वस्तुओं की विज्ञप्ति जारी हुई है? जानकारी देनें की कृपा करेंगे।

एडिशनल कमिश्नर द्वारा प्रथम प्रश्न के संदर्भ में भ्रमित होते हुये अपने आदेश में प्रथम प्रश्न के स्थान पर निम्न प्रश्न पूछे जाने का उल्लेख किया गया है:–

"इस प्रार्थना पत्र द्वारा आपने क्रमांक 35 पर खादी के वस्त्र/सामान इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुये जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जाये पर वैट अधिनियम के अर्न्तगत कर की दर के संबंध में प्रश्न पूछा है।"

इस प्रकार एडिशनल कमिश्नर द्वारा "श्री गांधी आश्रम मेरठ तथा उनकी शाखाओं द्वारा की गई खरीद एंव बिक्री" तथा "खादी के वस्त्र/सामान और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुओं" में कोई भिन्नता न होने का अर्थ लगाया गया है। इस प्रकार एडिशनल कमिश्नर द्वारा त्रुटिपूर्ण सोच के साथ निर्णय दिया गया है।

उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति सं0 429/2010/141(120)/xxvii(8) दिनांक 28.04.2010 द्वारा उपरोक्त अनुसूची–1 के क्रमांक 35 पर अंकित प्रविष्टि–

Khadi Garments/the products manufactured by the units, having turnover upto Rs. 50 lakh per annum, certified by (All India) Khadi and Village Industries Commission or the Uttarakhand khadi and Village Industries Board and verified by the Joint Commissioner (Exective) namely-

Safety matches, fire crackers, Candles, kapoor, gum and resin, fibres, other than coconut fibres and handmade goods such as paper, paperboard file

cover, file board, drawing paper, greeting cards and invitation cards. लाई गई है।

माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्त अनुसूची–1 के क्रमांक 35 पर लाई गई नई प्रविष्टि तथा पूर्व में अंकित प्रविष्टि की व्याख्या करते हुये अपने निर्णय में निम्न वाक्यांश उल्लिखित किये गये है–

Prior to 28-04-2010 it was provided that only those products will get exemption from tax payment regarding whom notification will be issued. As no notification was issued till 28-04-2010, so, there was no question of any exemption on any of the item specified under entry no. 35. By the aforesaid notification dated 28-04-2010, this entry no. 35 has been amended and it is now provided that products manufactured by the units, having turnover upto Rs. 50 lakhs per annum, manufacturing the items specified under this entry, and certified by All India khadi and Village Industries Commission, Mumbai or Uttarakhand Khadi and Village Industries Board will get exemption from payment of tax.

एडिशनल कमिश्नर के निर्णय में केवल खादी के वस्त्रों को कर मुक्ति प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उनके निर्णयानुसार नई प्रविष्टि में केवल खादी के उत्पाद ही करमुक्त होगें। जो प्रमाणित करता है कि एडिशनल कमिश्नर द्वारा त्रुटिपूर्ण सोच के तहत खादी के वस्त्रों तथा खादी उत्पादों को एक ही तरह की वस्तु समझा गया है।

माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, अतः पुछे गये प्रश्नों का उत्तर देने हेतु वाद को प्रतिप्रेषित किया गया है।

प्रतिप्रेषित वाद की सुनवाई हेतु आवेदनकर्ता की ओर से श्री हेमचन्द पन्त सचिव श्री गांधी आश्रम, चनौदा, जिला अल्मोडा अपने अधिवक्ता श्री एन0एच0एच0 लाल के साथ उपस्थित हुए। दो पृष्ठों के लिखित तथ्यों के स्पष्टीकरण के साथ कुल 98 पृष्ठों का संलग्नक दाखिल किया गया।

मेरे द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्नों तथा उनके द्वारा दाखिल विवरणों का अवलोकन किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा अपने धारा–57 के प्रार्थना पत्र में निम्न दो प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं:–

1. जिस प्रकार व्यापार कर की धारा–4ख में श्री गांधी आश्रम, मेरठ तथा उनकी शाखाओं द्वारा की गई खरीद एवं बिक्री पूर्ण रूप से कर मुक्त थी क्या मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू हो जाने पर भी यह पूर्व की भांति कर मुक्त होगी अथवा नहीं ?

माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.12.2011 के पृष्ठ सख्या–5 के द्वितीय पैरा में अनुसूची–I के क्रमांक–29 पर अंकित हैण्डलूम प्रोड्क्टस से सम्बन्धिंत वस्तुओं के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि "एडिशनल कमिश्नर द्वारा पारित धारा–57 के आदेश दिनांक–06.08.2008 में इस बिन्दु पर जांच नहीं की गई है, कि प्रश्नकर्ता के प्रोड्क्टस हैण्डलूम प्रोड्क्टस के अन्तर्गत आयेगें अथवा नहीं" ?

उपरोक्त के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अनुसूची–I के क्रमांक–29 एवं क्रमांक–35 पर प्रविष्टियां निम्नवत अंकित की गई है–

Sl No.	Item	Rate Of Tax	Entry
29	"Handloom fabrics of all kinds, whether plain, printed, dyed or embroidered, including dhotis, sarees, bed-sheets, bed-covers, chaddars, table cloth, pillow covers, handkerchieves, scarfs, napkins, dusters, lois, lihafs, jholas, hemmed and fringed towels, orhanis and duggas made out of handloom cloth or woolen blankets and rugs manufactured on handloom and Gandi topi "	Exempt	Schedule-I-(29)

Sl No.	Item	Rate Of Tax	Entry
35	"Khadi Garments/ the products manufactured by the units, having turnover upto Rs. 50 lakhs per annum, certified by (All India) khadi and Village Industries Commission, Mumbai or Uttarakhand Khadi and Village Industries Board and verified by the Joint Commissioner (Exceutive) namely: Safety matches, fire crackers, Candles, kapoor, gum and resin, fibres, other than coconut fibres and handmade goods such as paper, paperboard file cover, file board, drawing paper, greeting cards and invitation cards"	Exempt	Schedule-I-(35) *By Noti.No. 429/2010/141(120) /xxvii(8)/2008 dt. 28-04-2010

माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में, अधिनियम में विहित व्यवस्था से उपरोक्तानुसार अवगत कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार धारा–57 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण/विनिश्चिय किया जाता है। आदेश की एक प्रति आवेदक व्यापारी एवं एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजी जाये।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

2. मूल्यवर्धित कर (वैट) की अनुसूची–I के क्रमांक–35 में कौन–कौन सी वस्तुओं की विज्ञप्ति जारी हुई है? जानकारी देनें की कृपा करेंगे।

आवेदनकर्ता द्वारा पूछे गये उपरोक्त प्रथम प्रश्न के सन्दर्भ में मेरा मत है कि–

" जिस प्रकार व्यापार कर की धारा–4ख में गांधी आश्रम मेरठ तथा उनकी शाखओं द्वारा की गई खरीद एवं बिक्री पूर्ण रूप से कर मुक्त थी, उत्तराखण्ड़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम (वैट) के लागू हो जाने पर दिनांक–28.04.2009 के पूर्व श्री गांधी आश्रम मेरठ तथा उनकी शाखाओं द्वारा की जाने वाली खरीद बिक्री पूर्व की भांति कर मुक्त नहीं होगी "

क्योंकि विज्ञप्ति संख्या–429 दिनांक 28.04.2010 के पूर्व अनुसूची–I के क्रमांक–35 पर जो प्रविष्टी अंकित की गई थी उस प्रकार की प्रविष्टी व्यापार कर अधिनियम की धारा–4(b) के अन्तर्गत अंकित नहीं थी। व्यापार कर अधिनियम की धारा–4(b) के अन्तर्गत निम्न प्रकार से प्रविष्टी अंकित की गई थी।

Sec.4 Exemption from tex. – No tax under this Act shall be payable on-
(a) .....
(b) the sale or purchase of any goods by the All India Spinners Association, or Gandhi Ashram, Meerut, and their branches;
(c) .....

उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति संख्या–429/दिनांक 28.04.2010 द्वारा अनुसूची–I के क्रमांक–35 पर जो नई प्रविष्टी लायी गई है, उसके अनुसार :–

" खादी के वस्त्र/(अखिल भारतीय) खादी एवं ग्रामोउद्योग आयोग या उत्तराखण्ड़ खादी एवं ग्रामोउद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर द्वारा सत्यापित इकाईयां जिनकी वार्षिक सकल बिक्री 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है, द्वारा उत्पादित वस्तुएं यथा दियासलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेशा तथा हाथ से निर्मित वस्तुएं यथा कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाईल बोर्ड, ड्राइंग पेपर, बधाई पत्र एवं आमन्त्रण पत्र " को कर मुक्त की श्रेणी में रखा गया है अर्थात विज्ञप्ति संख्या–429 की प्रभावी तिथि दिनांक–28.04.2010 के पश्चात रू0 50 लाख तक की वार्षिक सकल बिक्री वाली उत्पादन इकाईयों द्वारा उत्पादित खादी के वस्त्र/अन्य उपरोक्त विज्ञापित वस्तुऐं ही कर मुक्त की श्रेणी में आयेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न के संदर्भ में यह मत निर्धारित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या–429 की प्रभावी तिथि दिनांक 28.04.2010 के पूर्व अनुसूची–I के क्रमांक–35 में किसी भी वस्तु की विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है।

1112

पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष /सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर
8. असि0 कमि0 वाणिज्य कर खण्ड–1 अल्मोड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10. श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–06, वाणिज्य कर, देहरादून (लैब इन्फारमेशन आफिसर) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करना सुनिश्चित करें।
11. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
12. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
13. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
14. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
15. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
16. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।